न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 90ए/2025

अनवान : —

1. मुस्कान पुत्री रामनिवास उम्र 2—1/2 वर्ष जरिये कुदरती वली माता प्रियंका पत्नी रामनिवास जाति नायक निवासी वार्ड न. 02 पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
2. युविका पुत्री राधेश्याम आयु 11 माह जरिये कुदरती वली माता मन्जू पत्नी श्री राधेश्याम जाति नायक निवासी वार्ड न0 2 पोहड़का त0 पल्लू जिला हनुमानगढ।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. म्दनलाल पुत्र बीरबलराम जाति नायक निवासी श्योदानपुरा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री बीएस थिन्द प्रार्थीगण

श्री सुभाष गर्ग अप्रार्थीगण

29/4/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीयागण नाबालिग है । प्रार्थीया सख्या 1 का जन्म दिनाक 25.11.2022 तथा प्रार्थीया संख्या 2 का जन्म दिनांक 21.06.2024 का हुआ है जिनकी उम्र क्रमशः 22 वर्ष व 11 माह है। प्रार्थीयागण अपनी अपनी माता के साथ निवास करती चली आ रही है। प्रार्थीयागण की माता ही प्रार्थीयागण की प्राकृतिक संरक्षिकाए है जो प्रार्थीयागण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण की ओर से जरिये प्राकृतिक सरंक्षकता माता प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रार्थीयागण के पडदादा अप्रार्थी के नाम से चक 1 ए बारानी के खाता संख्या 132/122 की कुल 5.819है., चक 20 केएनएन के खाता संख्या 110/ 114 की कुल 1.391है. एवंम ग्राम श्योदानपुरा बारानी के संयुक्त खाता संख्या 32/35 में 5.337है. अनकमाण्ड, नहरी एंवम बारानी दर्ज राजस्व रिकोर्ड है । उपरोक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 को कृषि भूमि अप्रार्थी को अपने पिता बीरबलराम से विरास्त में प्राप्त हुई थी । प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है । पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थीयागण के दादा सुभाष का तीनो चको की कृषि भूमि में 2.469 हैक्टेयर हक व हिस्सा बनता है। प्रत्येक प्रार्थीयागण के पिता का .616 हैक्टेयर हक व हिस्सा बनता है। दोनो प्रार्थीयागण अपने पिता की इकलौती पुत्रीयां है। प्रत्येक प्रार्थीयागण का अपने पिता के हक व हिस्सा की भूमि में .307 हैक्टेयर हक व हिस्सा बनता है जिसकी प्रार्थीयागण माननीय न्यायालय से घोषणा प्राप्त करना चाहती है ।

प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज चली आ रही है । अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीयागण को धमकीयां दी जा रही है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मेरे नाम से है, उक्त आराजी को अन्यत्र व्यक्तियों को रहन, बैय कर दूंगा । अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीयागण अपने हक व हिस्सा की भूमि से वंचित हो जावेगी जिससे प्रार्थीयागण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीयागण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को अप्रार्थी रहन, बैय करने के लिए प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीयागण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित भूमि को अप्रार्थी रहन, बैय एंव अन्य प्रकार से अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने से निषिद्व रहे । प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थीयागण के पक्ष में है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद – पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थन पत्र की चरण सख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि को अप्रार्थी रहन, बैय व अन्य प्रकार से अन्य व्यक्तियों अन्तरित करने से निषिद्व रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में दर्ज तथ्य कि वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश हो चुका है, स्वीकार है लेकिन वाद पत्र कतई गलत व विधि विरूद्व तथ्यों के साथ पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही काबिल खारीजी के है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की कोई आशा नही है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 मे वर्णित यह तथ्य कतई गलत अंकित किये है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति हो। प्रार्थीगण का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रार्थीगण को विधिक रूप से घोषणा का वाद पेश्ज्ञ करने की अधिकारिता नही है। प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी के जीवनकाल में घोषणा का वाद पेश करने की विधिक अधिकारिता नही है क्योकि अप्रार्थीगण के तीन पुत्र है जो अभी जिवित है। मिन अप्रार्थीगण के पुत्रों के जिवित रहते हुए प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 में वर्णित आराजी में किसी भी तरह से हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिता नही है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 6 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है । हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का अधिकार नह बनता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर मझ अप्रार्थी के साथ ये है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय को मुगालता में रखकर एक पक्षीय स्थगन आदश प्राप्त किया है जो खारीज होने योग्य है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के

धिकारी नही है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीयागण ने अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि में से अपने अधिकारों की घोषणा चाही है। अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में विवादित आराजी दर्ज है अप्रार्थी सं0 01 मदनलाल प्रार्थीगण के पड़दादा है। प्रार्थीगण के पिता व दादा जीवित है जिनके अधिकारों की घोषणा राजस्व राजस्व रिकोर्ड में नहीं हुई है। प्रार्थीगण का अपने हकों की घोषणा के लिए न्यायालय हाजा में धारा 88–188 के अन्तर्गत मूल वाद जैरकार है जिसमें साक्ष्य–सबूत व तनकीयात आदि लेखबद्व होने के बाद ही गुणावगुण पर अधिकार तय होने हैं। चूंकि वर्तमान परस्थिति में प्रार्थीगण के दादा व पिता जो जीवित है उनके अधिकार ही तय नहीं हुए है एसी स्थिति में प्रार्थीगण के पड़दादा को अपने नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित किया जाना न्यायालय के अभिमत में न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में साबित है। प्रार्थीगण के पड़दादा वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में रिकोर्डेड खातेदार है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने पर सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में बूखबी साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचानानुसार व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित नहीं होने के कारण खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़